रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1972/माघ 15, 1893
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1972/MAGHA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 4th February 1972

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2), read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of Jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of February, 1972.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the said Second Schedule;

Provided further that the price specified in this Order is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommends and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Category of jute bag	Minimum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B Twill bags of the size 44" × 26½" weight 2¼ lbs. per bag, 6×8 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS:2566-1965 as amended up-to-date)	Rs. 211.07 per 100 bags.
2.	WD Flour bags 44"×28" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2¼ lbs. per bag 7×9 or 8×8, plain, dry sewn	Rs. 189.95 per 100 bags.
3.	DW Flour bags 40"×28" HD, WIP to 56"×28" HD 2¼ lbs. per bag 7×9 or 8×8, plain, dry sewn.	Rs. 172.68 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in the price per 100 bags. Warp way	Weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength.	160 Kg.	165 Kg.
	Rs.	Rs.
160	..	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	..

[No. 18012/1/71-Tex(D).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 4 फरवरी, 1972

जी० एस० आर०–69(अ)––भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप नियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

और तत्सबंधी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन के वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा इस आदेश से सलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) मे उल्लिखित मूल्य ऐसे अधिकतम एक्स-फेक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में फरवरी, 1972 के मास में खरीदी या बेची जाएगी।

परन्तु इस आदेश से सलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम सख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को इस आदेश से सलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बतायी गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमत सशोधित की जा सकती है और अन्त में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएगी जिसकी टैरिफ आयोग सिफारिश करे तथा इस प्रकार अंतिम रूप में निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर सभरक को फरवरी, 1972 में सुपुर्दगियों के लिये भुगतान प्राप्त करने का हक है।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस आदेश में सलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है जिन्हें खरीदार को ही वास्तविक आकड़ों के आधार पर एक्स-फेक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी जो कि इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम सख्या	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फेक्टरी मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	स्टैंडर्ड बी ट्विल बोरे—साइज 44"×26½" वजन 2½ पौंड प्रति बोरा, 6×8, 3 बल्यू, शुष्क मिला हुआ और शेष सभी प्रकार से वर्तमान आइ० एस० आइ० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आइ० एस०:2566-1965 अद्यतन यथा संशोधित)	211.07 रुपये प्रति 100 बोरे
2.	डी—डब्ल्यू आटे के बोरे—44"×28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56"×28" एच० डी० 2½ पोंड प्रति बोरा, 7×9 या 8×8 सादा शुष्क सिला हुआ	189.95 रुपये प्रति 100 बोरे
3.	डी० डब्ल्यू आटे के बोरे 40"×28" एच० डी० आइ० पी० से 56"×28" एच० डी० 2½ पोंड प्रति बोरा 7×9 या 8×8, सादा शुष्क मिला हुआ।	172.68 रुपये प्रति 100 बोरे।

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी	
	(रुपये में)	(रुपये में)
(1)	(2)	(3)
आइ० एस० आइ० स्टैंडर्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	—	0 55
155	0.39	1.02
150	1.06	1 50
145	1.62	2 11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 180/12/1/71-टैक्स (डी)]

वी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATA

In the Ministry of Home Affairs Notifications and Orders No. F. 38/1/72-Pol.I(A), dated the 21st January, 1972 published at pages 151—158(b) in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) under Issue Nos. 30 and 31 of the 21st January, 1972, the following corrections are to be made in both English and Hindi versions respectively:—

(1) At page 152—

(i) in line 4 *for* "जी०एस०आर० 49(अ)" *read* "जी०एस०आर० 49 (ई)."

(ii) in lines 19 and 27 *for* the word "रुप" *read* "रूप"

(2) At page 157—

(i) in line 13 *for* "सी०एस०आर० 51(अ)" *read* "जी०एस०आर० 51(ई)."

(ii) in line 15 *for* the word and figures "(1971 का 31वां)" *read* "(1971 का 81वां)."

(iii) in line 16 *read* the word "राज्य" after the word "नया"

(iv) in line 22 *for* the word "रुप" *read* "रूप"

(3) At page 158—

(i) in line 6 *for* the word "संम्बिधत" *read* "सम्बधित"

(ii) in line 26 *read* "(iii)" *before* the words "संविधान"

(4) At page 158(a), in line 25 *for* "G.S.R. 51(E)" and the word "Proclamation" *read* "G.S.R. 52(E)" and the word "Order".

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972